रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73

REGISTERED NO. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 10, 1975 (वैसाख 20, 1897)

No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 10, 1975 (VAISAKHA 20, 1897)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	375
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	633
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	623
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	1289
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	1725
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	287
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	3477
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	291
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	7
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1143
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	77

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	375
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	633
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence.	623
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1289
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1725
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	287
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	3477
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	291
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	7
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1143
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	77

भाग I—खंड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 1975

सं० 27 प्रेज/75—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री अजेन्द्र कुमार पाण्डेय,
पुलिस उपाधीक्षक,
जिला कानपुर,
उत्तर प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

23 जनवरी, 1974 को कानपुर के पुलिस उपाधीक्षक श्री अजेन्द्र कुमार पाण्डेय को कुख्यात अपराधी नूर आलम तथा उसके साथियों की गतिविधि के बारे में सूचना मिली । उन्होंने आवश्यक पुलिस दल एकत्र किया और एक जीप में अपराधियों का पीछा करते हुए वे लखनऊ की ओर गये । पुलिस दल ने एक होटल के पास वह अम्बेसेडर कार देखी जिसमें डाकू यात्रा कर रहे थे और उन्होंने कार को घेर लिया । उन्होंने नूर आलम तथा उसके साथियों से आत्म-समर्पण करने को कहा ।

पुलिस दल को देख कर कार के चालक ने कार चलाने का प्रयत्न किया परन्तु श्री बी० के० पाण्डेय तथा श्री वी० एस० राय, उप निरीक्षक उस पर हावी हो गये । ये दोनों अधिकारी नूर आलम की ओर अपनी पिस्तौल ताने हुए झपटे ही थे कि उक्त अपराधी ने उसके पास पहुंचने से पहले ही गोली चला दी जो श्री राय को लगी । घायल होने के बावजूद श्री राय, नूर आलम को पकड़ने का अन्तिम प्रयत्न करते हुए कार की खिड़की पर झपटे, श्री पाण्डेय ने घायल उप निरीक्षक को दाहिने हाथ से थामने का प्रयत्न किया और अपराधी पर गोली चलाई । स्वयं उनके बाईं कुहनी पर गोली लगी । परन्तु पुलिस अधिकारियों के घायल होने का लाभ उठाते हुए अपराधी भागने में सफल हो गये । पुलिस दल ने अपराधियों का पीछा किया । अपराधी मोहल्ला राजेन्द्र नगर, लखनऊ में पाये गए जहां नूर आलम तथा उसका एक साथी मारे पाये गये । कार चालक को जो भाग गया था उसी रात गिरफ्तार कर लिया गया । श्री अजेन्द्र कुमार पाण्डेय के कम्पाउण्ड फ्रैक्चर हो गये थे और उसके लिए उनकी चिकित्सा की गई थी ।

कुख्यात अपराधियों के साथ हुई मुठभेड़ में श्री अजेन्द्र कुमार पाण्डेय ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए साहस तथा कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 23 जनवरी, 1974 से दिया जाएगा ।

सं० 28 प्रेज/75—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री विष्णु शंकर राय, (स्वर्गीय)
पुलिस उप निरीक्षक,
सिविल पुलिस,
जिला कानपुर,
उत्तर प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

23 जनवरी, 1974 को कानपुर के पुलिस उपाधीक्षक श्री अजेन्द्र कुमार पाण्डेय को कुख्यात अपराधी नूर आलम तथा उसके साथियों की गतिविधि के बारे में सूचना मिली । उन्होंने आवश्यक पुलिस दल एकत्र किया और एक जीप में अपराधियों का पीछा करते हुए वे लखनऊ की ओर गये । पुलिस दल ने एक होटल के पास वह अम्बेसेडर कार देखी जिसमें अपराधी यात्रा कर रहे थे और उन्होंने कार को घेर लिया । उन्होंने नूर आलम तथा उसके साथियों से आत्म-समर्पण करने को कहा ।

पुलिस दल को देख कर कार के चालक ने कार चलाने का प्रयत्न किया परन्तु श्री अजेन्द्र कुमार पाण्डेय तथा श्री विष्णु शंकर राय, उस पर हावी हो गये । ये दोनों अधिकारी नूर आलम की ओर अपनी पिस्तौल ताने हुए झपटे ही थे कि उक्त अपराधी ने उसके पास पहुंचने से पहले ही गोली चला दी जो श्री राय को लगी । घायल होने के बावजूद श्री राय, नूर आलम को पकड़ने का अन्तिम प्रयत्न करते हुए कार की खिड़की पर झपटे, श्री पाण्डेय ने घायल उप निरीक्षक को दाहिने हाथ से थामने का प्रयत्न किया और अपराधी पर गोली चलाई । स्वयं उनके बाईं कुहनी पर गोली लगी । परन्तु पुलिस अधिकारियों के घायल होने का लाभ उठाते हुए अपराधी भागने में सफल हो गये । पुलिस दल ने अपराधियों का पीछा किया ।

अपराधी मोहल्ला राजेन्द्र नगर, लखनऊ में पाये गए जहां नूर आलम तथा उसका एक साथी मरे पाये गये । कार चालक को जो भाग गया था उसी रात गिरफ्तार कर लिया गया । उप निरीक्षक श्री विष्णु शंकर राय घावों के कारण 25 जनवरी, 1974 को वीर गति को प्राप्त हुए ।

कुख्यात अपराधियों के साथ हुई मुठभेड़ में श्री विष्णु शंकर राय ने उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया और कर्त्तव्य पालन में अपने प्राणों की आहुति दे दी ।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 23 जनवरी, 1974 से दिया जाएगा ।

सं० 29-प्रेज/75—राष्ट्रपति असम पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सुनील फुकन, (स्वर्गीय)
पुलिस उप-निरीक्षक,
असम ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

8 जुलाई, 1974 को हिंसक मजदूरों द्वारा तिन अली टी एस्टेट के प्रबन्धक का घेराव किया गया था । वे इस बात से क्रुद्ध थे कि प्रबन्धक एक मजदूर के साथ, जिसका हाथ बागान फैक्टरी में एक दुर्घटना में टूट गया था, असहयोगपूर्ण रवैया अपना रहा है । भीड़ प्रबन्धक के बंगले में घुस गई, प्रबन्धक तथा उसकी पत्नी को बाहर घसीट लाई और उन्हें डंडों, घूसों तथा छातों से पीटना शुरू कर दिया । जब उप-निरीक्षक सुनील फुकन घटनास्थल पर पहुंचे तो स्थिति बड़ी तनावपूर्ण थी । उनके साथ केवल एक कांस्टेबल था और कुमुक मंगवाने का समय भी नहीं था । उन्होंने भीड़ को प्रबन्धक तथा उसके परिवार को और पीटने से रोका और उनसे प्रबन्धक तथा उसके परिवार की जान बख्शने का आग्रह किया । यद्यपि वे उनका जीवन बचाने में सफल हो गये पर उन्होंने अपने जीवन की बली दे दी । प्रतिशोधी भीड़ ने यहां तक किया कि उनकी एक आंख निकाल डाली और उन्हें इतनी निर्दयता से पीटा कि जिससे उनकी मृत्यु हो गई ।

श्री सुनील फुकन ने उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया और कर्त्तव्यपालन में अपने जीवन की बलि दे दी ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 जुलाई, 1974 से दिया जाएगा ।

सं० 30-प्रेज/75—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री महेन्द्र सिंह,
कान्स्टेबल सं० 484,
सिविल पुलिस,
जिला सहारनपुर,
उत्तर प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

16/17 नवम्बर, 1973 की रात्रि में 8/9 सशस्त्र डाकुओं के एक गिरोह ने उत्तर प्रदेश में जिला सहारनपुर के देवबन्द कस्बे में कुछ मकानों पर धावा बोल दिया । सूचना मिलने पर देवबन्द थाने के थाना-अध्यक्ष ने उपलब्ध पुलिस दल एकत्र किया और तुरन्त घटनास्थल की ओर चल दिये । परन्तु तब तक डाकू लूट का माल लेकर भाग चुके थे । पुलिस दल ने सहारनपुर-मुजफ्फरनगर मार्ग पर एक कार देखी जिसमें अभियुक्त बैठे थे । पुलिस दल को देखते ही अपराधियों ने मोर्चा संभाला और उन्होंने पुलिस दल पर गोली चला दी जिसमें कांस्टेबल महेन्द्र सिंह गोली लगने से घायल हो गये । गोलीबारी की परवाह न करते हुए बहादुर कांस्टेबल रेंग कर डाकुओं की ओर बढ़े । भारी गोलीबारी के मध्य पुलिस की गोली से एक डाकू घायल हो गया । डाकू गन्ने के खेत की ओर भाग गये परन्तु उन का पीछा किया गया और तीन डाकुओं को उनके हथियार तथा गोलाबारूद सहित गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार डाकुओं के पास से लूटा गया सारा माल बरामद कर लिया गया ।

डाकुओं के साथ हुई इस मुठभेड़ में श्री महेन्द्र सिंह ने उच्चकोटि के साहस, वीरता तथा कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 नवम्बर, 1973 से दिया जाएगा ।

सं० 31 प्रेज/75—राष्ट्रपति दिल्ली पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री हरी सिंह,
कांस्टेबल नं० 261/एस० डी०,
दिल्ली पुलिस ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

जब पुलिस को गांव धोड़ी, थाना बल्लभगढ़ के भगीरथ सिंह तथा कल्याण गुप्ता और गांव सेशन, जिला भरतपुर के उजागर सिंह तथा करतार सिंह के विद्या जैन हत्या काण्ड से संबद्ध होने के बारे में कुछ सुराग मिला तो उनको पकड़ने के लिए एक पुलिस दल भेजा गया । कांस्टेबल हरी सिंह इस दल के सदस्य थे । सबसे पहले पुलिस दल भगीरथ सिंह के फार्म हाउस में गया और वहां उन्हें पता लगा कि कल्याण गुप्ता अट्टरी गांव की ओर गया है । कांस्टेबल हरी सिंह समेत पुलिस दल के एक भाग को कल्याण गुप्ता को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया । कांस्टेबल हरी सिंह कल्याण गुप्ता को पकड़ने

में सफल हो गये। इस बीच भगीरथ सिंह को भी पकड़ लिया गया। भगीरथ सिंह तथा कल्याण गुप्ता से प्राप्त सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस दल 11 दिसम्बर, 1973 को प्रातः सेशन गांव में पहुंचा। पुलिस दल को थाना पहाड़ी के पुलिस अधिकारियों ने पहले से ही सावधान कर दिया कि आततायी घोषित अपराधी हैं और निश्चय ही अपनी गिरफ्तारी का प्रतिरोध करेंगे। पुलिस की सशस्त्र टुकड़ी ने उजागर सिंह तथा करतार सिंह के मकानों को, जो कि साथ-साथ थे घेर लिया और सिविल पुलिस की टुकड़ी, जिसमें कांस्टेबल हरी सिंह भी थे, अभियुक्तों को पकड़ने के लिए घर के अन्दर गई। पुलिस की उपस्थिति का आभास होने पर उजागर सिंह अपने बिस्तर से कूद पड़ा और उसने छप्पर के अन्दर रखी हुई अपनी .303 की राइफल निकाल ली। खतरे की परवाह न करते हुए कांस्टेबल हरी सिंह उजागर सिंह पर झपट पड़े। यद्यपि अभियुक्त ने अपनी राइफल के बट से उन्हें मारा फिर भी कांस्टेबल हरी सिंह ने उसे छोड़ा नहीं और अपराधी को बस में करने में वे सफल हो गये।

श्री हरी सिंह ने अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह न करते हुए इस मुठभेड़ में उत्कृष्ट वीरता तथा कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 दिसम्बर, 1973 से दिया जाएगा।

सं० 32-प्रेज/75—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री महावीर सिंह, (**स्वर्गीय**)
पुलिस उप निरीक्षक, सिविल पुलिस,
पुलिस थाना खेरागढ़,
जिला आगरा।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

10 अप्रैल, 1968 को उप निरीक्षक श्री महावीर सिंह, सदर जिला आगरा से जाने वाली एक बस में यात्रा कर रहे थे। जैसे ही बस संया खेरागढ़ मार्ग पर, नागला खेरा गांव के पास पुलिया के निकट पहुंची, तो उसे सशस्त्र डाकुओं के एक गिरोह ने, जिन्होंनें मार्ग को अवरुद्ध कर रखा था, रोक लिया। जैसे ही बस धीमी हुई डाकुओं ने उसके अगले पहिए को गोली मार कर पंचर कर दिया जिससे बस को विवश होकर रुकना पड़ा। डाकुओं ने सभी यात्रिओं को बस से बाहर आने को कहा। श्री महावीर सिंह जिनके पास कोई हथियार नहीं था आगे आए और उन्होंने डाकुओं से अपनी गैर कानूनी गतिविधियों से बाज आने के लिए कहा। जिससे डाकू क्रोधित हो उठे। उन्होंने उप-निरीक्षक से कहा कि वह उनके काम में बाधा न डाले। परन्तु श्री महावीर सिंह ने निर्भीकता से उनका सामना किया और डाकुओं का आदेश नहीं माना। निहत्थे उप-निरीक्षक को अपने रास्ते में बाधा समझ कर उन्होंने उनको बाहर खींच लिया और समीप से गोली चलाकर उन्हें मार डाला।

उप निरीक्षक महावीर सिंह यद्यपि निहत्थे थे तथापि उन्होंने डाकुओं को गैर-कानूनी हरकतें करने से रोकने में उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 10 अप्रैल, 1968 से दिया जाएगा।

सं० 33-प्रेज/75—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री धर्मवीर मेहता,
अपर पुलिस अधीक्षक,
इलाहाबाद,
उत्तर प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

यह सूचना मिलने पर कि एक कुख्यात डाकू महादेव माली के अपने तीन साथियों के साथ 26 अक्तूबर, 1968 को रात इलाहाबाद के रामबाग में एक दुकान पर आने की संभावना है, श्री धर्मवीर मेहता ने गिरोह को दुकान पर पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। पुलिस दल को तीन टुकड़ियों में बाँट दिया गया। ज्यों ही डाकू दुकान में गए श्री मेहता मिठाई खरीदने के बहाने दुकान में गए और उन्होंने तसल्ली कर ली कि डाकू पहुंच गए हैं। उनके संकेत पर पुलिस टुकड़ियां इकट्ठी होकर आगे आने लगीं। खतरे का भास होते ही महादेव माली ने अपनी पेटी से 12 बोर की पिस्तौल निकाली और भागने की कोशिश की। बहादुर अपर पुलिस अधीक्षक डाकू की इस चाल को भांप गए और उस पर झपट पड़े। महादेव माली ने एक गोली चलाई परन्तु श्री मेहता बाल-बाल बचे। श्री मेहता ने, महादेव माली के अपने को मुक्त कराने के प्रयत्नों के बावजूद, कुमुक के पहुंचने तक उसे पकड़े रखा। डाकू के अन्य तीन साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए और उनके हथियार व गोलाबारूद भी ले लिये गये।

डाकुओं के साथ इस मुठभेड़ में श्री धर्मवीर मेहता ने उत्कृष्ठ वीरता तथा कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप राष्ट्रपति सचिवालय के अधिसूचना संख्या 118 प्रेज/74, दिनांक 1 दिसम्बर, 1974 द्वारा संशोधित नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 दिसम्बर, 1974 से दिया जाएगा।

सं० 34 - प्रेज / 75 —राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :–

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री लक्ष्मीराज सिंह,
पुलिस निरीक्षक,
अपराध,
जिला फतेहपुर,
उत्तर प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए बार प्रदान किया गया

18 जुलाई, 1972 को श्री लक्ष्मी राज सिंह को, डाकुओं के सरदार देवनाथ तथा जब्बो के, बिना लाइसेन्स के कुछ शस्त्रों सहित गांव बरकतपुर में मौजुद होने के बारे में सूचना मिली । उपलब्ध पुलिस दल को लेकर वे तुरन्त उक्त गांव में पहुंचे और गांव को घेर लिया । पुलिस दल को मोर्चाबन्दी करते हुए अपने समीप आते देखकर डाकुओं ने गोली चलाई तथा एक मकान में आड़ ली । खतरे की परवाह न करते हुए पुलिस दल ने मकानों की तलासी शुरू कर दी । ज्योंही पुलिस दल उस मकान के पास पहुँचा जहाँ डाकू छिपे हुए थे तो डाकुओं ने उन पर गोली चलाना शुरु कर दिया और श्री लक्ष्मी राजसिंह बाल-बाल बचे । तुरन्त मोर्चा सम्भालते हुए उन्होंने डाकुओं से आत्म-समर्पण करने के लिए कहा परन्तु डाकू अन्धाधुन्ध गोली चलाते रहे । खतरे की परवाह न करते हुए निरीक्षक लक्ष्मी राज सिंह ने कुछ कांस्टेबलों को मकान की छत पर चढ़ने के लिए कहा और स्वयं मकान के बाहरी दरवाजे पर गये और डाकुओं को आत्म-समर्पण करने के चेतावनी दी परन्तु डाकुओं ने गोलीबारी जारी रखी । अन्त में गोलीबारी में दोनों डाकू मारे गये और उनके पास से 42 भरे हुए कारतूस और 2 बन्दूकें बरामद की गई ।

कुख्यात डाकुओं का सामना करने में श्री लक्ष्मी राज सिंह ने उच्च कोटि की वीरता तथा कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के विधिक छः के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 जुलाई, 1972 से दिया जाएगा ।

कू० बालचन्द्रन्,
राष्ट्रपति के सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 अप्रैल 1975

सं० 35/8/74-अ० भा० से० (III) —दिनांक 7 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र भाग I खण्ड I के अन्तर्गत प्रकाशित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को दिनांक 7 दिसम्बर, 1974 को अधिसूचना सं० 35/8/75-अ० भा० से० (III) में भारतीय वन सेवा परीक्षा, 1975 के नियमों में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात्:—

इन नियमों के परिशिष्ट में, उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा से संबंधित विनियमों के विनियम 3 (ख) में:—

"गोरखा, गढ़वाली, असमिया, नागालैंड की आदिम जातियों आदि के उम्मीदवारों के लिए जिनका औसत कद विशेष रूप से कम है, कम से कम निर्धारित कद में छूट दी जाती है"

शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे:– "अनुसूचित आदिम जाति तथा गोरखों, गढ़वालियों, असमियों, नागालैंड की आदिम जातियों आदि के उम्मीदवारों के लिए जिनका औसत कद विशिष्टतया कम होता है, कम से कम निर्धारित कद में छूट दी जाती है" ।

आर० एल० अग्रवाल, अवर सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 1975

संकल्प

सं० 19/3/75-टैक्स-1:—भारत सरकार ने भारत के राजपत्र भाग I खंड I, दिनांक 3 मार्च, 1973 में प्रकाशित भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय के संकल्प संख्या 26014(I)/71-टैक्स (ए०) दिनांक 30 जनवरी, 1973 द्वारा यथा पुर्नगठित सूती वस्त्र परामर्श बोर्ड के सदस्य के रूप में वाणिज्य मंत्रालय के सचिव (निर्यात उत्पादन) को नामित करने का निर्णय लिया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, सभी संघ राज्य क्षेत्रों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधानमंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिवों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारतीय नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक, प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क का केन्द्रीय बोर्ड, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, संसद पुस्तकालय और वस्त्र आयुक्त, बम्बई को भेजी जाये ।

दौलत राम, अवर सचिव

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1975

संकल्प

सं० 2(II)/74-सी० जी०पी०:—डा० इंग० जे० डी० पंडा, प्रबन्धक, रिफ्रैक्टरीज, उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड, राजगंगपुर और डा० डी० एन० नंदी, वैज्ञानिक, सेंट्रल ग्लास एण्ड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिफ्रैक्टरीज उद्योग की नामिका की सदस्यता के त्यागपत्र दे देने के फलस्वरूप निम्नलिखित व्यक्तियों को, रिफ्रैक्टरी

उद्योग की नामिका जिसका इस मंत्रालय के इसी संख्या वाले संकल्प दिनांक 13 दिसम्बर, 1974 द्वारा पुनर्गठन किया गया था, सदस्य नियुक्त किया जाता है :—

1. श्री एम० एच० डालमियां,
   उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड,
   राजगंगपुर-770017,
   जिला सुन्दरगढ़ (उड़ीसा),
   (डा० इंग जे० डी० पंडा के स्थान पर)

2. डा० एन० आर० सरकार, वैज्ञानिक,
   सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट,
   पो० आ०—जादवपुर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता-700032,
   (डा० डी० एन० नंदी के स्थान पर)

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

एम० सुब्रमणियन, अवर सचिव

कृषि और सिंचाई मंत्रालय
(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक मार्च, 1975

संकल्प

सं० सी० 11013/4/73-एफ० आर० वाई० (एफ० डी०)—भारत सरकार ने संकल्प संख्या सी० 11013/4/73-एफ० आर० वाई० (एफ० डी०) दिनांक 21-5-74 के अनुसार केन्द्रीय वानिकी बोर्ड को पुनर्गठित किया । भारत सरकार इस बोर्ड के सदस्यों की कार्य अवधि निर्धारित करने के प्रश्न पर कुछ समय से विचार कर रही थी । भारत सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि उपर्युक्त संकल्प दिनांक 21-5-74 में कार्यकलाप से पहले निम्नलिखित पैरा जोड़ दिया जाए :—

सदस्यता की अवधि

(1) उन सदस्यों को छोड़कर, जो अपने वर्तमान पद या नियुक्ति की हैसियत से सदस्य हैं, अन्य सभी सदस्य 4 वर्ष की अवधि तक या उस संगठन का सदस्य बने रहने तक जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं (जो भी पहले हो) बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करते रहेंगे ।

(2) बोर्ड द्वारा सदस्य के रूप में नामजद किया हुआ संसद सदस्य 4 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा, बशर्ते कि उस समय तक वह संसद सदस्य बना रहे ।

(3) निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति उत्पन्न होने पर सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी :—

यदि उनकी मृत्यु हो जाए या वह त्यागपत्र दे दें या वे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाए या दिवालिया हो जाए या न्यायालय ने किसी कदाचार सम्बन्धी दण्डनीय अपराध में उन्हें दोषी ठहराया हो ।

(4) यदि किसी उपर्युक्त कारण से किसी सदस्य का पद खाली हो जाता तो सक्षम अधिकारी (जिसे ऐसी नियुक्ति करने का अधिकार हो) उस स्थान को भर सकेगा । ऐसी सभी रिक्तियां 4 वर्ष की पूरी अवधि के लिए की जाएगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेज दी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एस० के० सेठ,
वन महानिरीक्षक तथा पदेन अपर सचिव

समाज कल्याण विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 19 अप्रैल 1975

संकल्प

सं० एफ०-1/46/69-एस० डी० डी० (डब्ल्यू०):—समाज कल्याण विभाग के संकल्प संख्या एफ० एफ० 1/46/69-एस० डब्ल्यू०-3 दिनांक 30 सितम्बर, 1974, जिसके द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (कम्पनी) के कार्यालय, अर्थात् बोर्ड के अध्यक्ष, साधारण निकाय के सदस्यों तथा कार्यकारी समिति के सदस्यों का कार्यकाल 31 मार्च, 1975 तक तथा उसके समेत बढ़ा दिया गया था, के अनुक्रम में भारत सरकार सहर्ष यह निर्णय करती है कि कम्पनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 7 के उपबन्धों के अधीन उक्त बोर्ड का कार्यकाल 1 अप्रैल, 1975 से 30 जून, 1975 तक तथा उसके समेत तीन मास की और अवधि के लिए बढ़ा दिया जाय ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाये :—

1. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सब सदस्य ।
2. सब राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र ।
3. भारत सरकार के सब मंत्रालय/ विभाग ।
4. राष्ट्रपति सचिवालय ।
5. मंत्रिमण्डल सचिवालय ।
6. योजना आयोग ।
7. लोक सभा/ राज्य सभा/ प्रधान मंत्री कार्य सचिवालय
8. पत्र सूचना कार्यालय ।
9. महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली ।
10. कम्पनी कार्य विभाग ।
11. कम्पनियों के रजिस्ट्रार, नई दिल्ली ।
12. क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी कानून बोर्ड, नई दिल्ली ।
13. सचिव, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली ।
14. राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के सब अध्यक्ष ।

यह भी आदेश किया जाता है कि इस संकल्प को साधारण जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

टि० सु० ना० स्वामी, अवर सचिव

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 अप्रैल 1975

सं० -23/18/74-एल० आई०—राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि डाक जीवन बीमा और बंदोबस्ती बीमा से संबंधित नियमों में निम्नलिखित और नियम बनाय जाएंगे, अर्थात्:—

(1) उक्त नियमों में:—

(क) नियम 2 में:—

(i) उप नियम (i) में "राज्य" शब्द हटाया जाएगा

(ii) उप नियम (6) में—

(क) "कार्यालयों या राज्य रेलवे" शब्दों के लिए "या कार्यालय" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) "कार्यालय या रेलवे" शब्दों के लिए "या कार्यालय" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) उप नियम (ii) हटाए जाएगें;

(ख) नियम 19 के नीचे की "टिप्पणी-6" हटाई जाएंगी।

आर० एन० डे, निदेशक,
डाक जीवन बीमा

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1975

सं० डी०जी०ई०टी०-12(3)/74-टी० सी०—समय-समय पर संशोधित तारीख 21 अगस्त, 1956 के भारत के राजपत्र के भाग-1, खंड-1 में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम मंत्रालय (रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय) के संकल्प संख्या टी० आर०/ई० पी०-24/56, तारीख 21 अगस्त, 1956 के पैरा-5 के उप-पैरा (च), (छ), (ज) और (ड) के अनुसरण में तथा भारत सरकार, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, श्रम और रोजगार विभाग की अधिसूचना संख्या -12(6)/71-टी० सी०, दिनांक 14 अक्तूबर, 1971 का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श के साथ विभिन्न संगठनों, निकायों, आदि का राष्ट्रीय वृत्तिक व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद में प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को नामित किया है :—

1. श्री टी० जी० कृपलानी 2. श्री आर० एन० किनी 3. श्री के० के० सोमानी, 4. श्री एल० एन० घिरनीकर 5. श्री एस० डी० भसीन	नियोजक संगठनों के प्रतिनिधि
6. श्री एस० एम० नारायण 7. श्री सत्य पाल मिश्र 8. श्री चिमनभाई मेहता 9. श्री विमल महरोत्रा 10. श्री कृष्णन एन० अय्यर	श्रम संगठनों के प्रतिनिधि
11. निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली। 12. श्री आर० एन० जोशी, 13. श्री आर० के० गेज्जी 14. श्री डी० आर० गुप्त 15. मुख्य (जनशक्ति), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली।	व्यावसायिक और विज्ञ निकायों तथा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि
16. श्रीमती प्रोमिला लूम्बा 17. डा० एल० एस० चन्द्रकान्त 18. श्री वाई० एस० वेन्कटेस्वरन 19. श्री ए० एस० लाल	व्यावसायिक और विज्ञ निकायों तथा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि

ग० जगन्नाथ, उप-सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल 1975

संकल्प

सं० यू०-23017/8/74-एम०-4—लोह अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि के लिए केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड को पुनर्गठित करते हुए इस मंत्रालय के संकल्प संख्या यू०-23011/1/71-एम०-4, दिनांक 1 फरवरी, 1973 के पैरा 1 में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा :—

क्रमांक 1 के सामने "श्रमिकों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों" के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

1. श्री बी० के० मोहन्ती संसद् सदस्य,
महा सचिव,
गंगपुर श्रमिक यूनियन,
डाकघर बिरमित्रापुर,
जिला सुन्दरगढ़ (उड़ीसा),
26, महादेव रोड,
नई दिल्ली।

आदेश

आदेश है कि संकल्प की प्रति निम्नलिखित को प्रेषित की जाए:—

(1) आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, और गोवा दमन तथा दीव की सरकारें।

(2) इस्पात तथा खान मंत्रालय (खान विभाग), नई दिल्ली।

(3) बोर्ड के सभी सदस्य।

(4) नियोजकों और श्रमिकों के सभी संबंधित संगठन।

(5) श्री बी० के० मोहन्ती, संसद् सदस्य, महा सचिव, गंगपुर श्रमिक यूनियन, डाकघर बिरमित्रापुर, जिला सुन्दरगढ़ (उड़ीसा)।

(6) श्री बी० के० मोहन्ती, संसद् सदस्य, 26 महादेव रोड़, नई दिल्ली।

(7) सहायक सचिव, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, 17 जनपथ, नई दिल्ली।

यह भी आदेश है कि संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

बी० के० सक्सेना, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 25th April, 1975

No. 27—Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Brijendra Kumar Pandey, Deputy Superintendent of Police, Kanpur District, Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On January 23, 1974, Shri Brijendra Kumar Pandey, Deputy Superintendent of Police, Kanpur received information about the movement of notorious outlaw Noor Alam and his associates. He collected the necessary force and followed the criminals in a jeep to Lucknow. The police party sighted the Ambassador car in which the outlaws were travelling near a hotel and surrounded the car. They asked Noor Alam and his associates to surrender.

On seeing the police party the driver of the car tried to start the car but was prevailed upon by Shri B. K. Pandey and Shri Vishnu Shanker Rai, Sub-Inspector. Both these officers then made a quick dash at Noor Alam with their pistols pointed towards him but before they could get to the outlaw, he fired and the bullet hit Shri Rai. In spite of the injury which he had received Shri Rai jumped into the car window. In order to make a last bid to catch hold of Noor Alam, Shri Pandey tried to hold the injured Sub-Inspector in the right arm and fired on the outlaw. He himself received bullet injury on his left elbow. The criminals were, however, able to flee taking advantage of the injuries the Police Officers had received. They were, however, chased by the Police party. The criminals were detected in Mohalla Rajendra Nagar, Lucknow with both Noor Alam and one of his associates lying dead. The driver who had escaped was arrested the same night. Shri Brijendra Kumar Pandey had compound fractures and was treated for them.

In this encounter with notorious outlaws Shri Brijendra Kumar Pandey exhibited courage and devotion to duty unmindful of his personal safety.

2. This award is made for gallantary under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 23rd January, 1974.

No. 28—Pres/75.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Vishnu Shanker Rai, Sub-Inspector of Police, Civil Police, Kanpur district, Uttar Pradesh (Deceased)

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On January 23, 1974, Shri B. K. Pandey, Deputy Superintendent of Police, Kanpur received information about the movement of notorious outlaw Noor Alam and his associates. He collected the necessary force and followed the criminals in a jeep to Lucknow. Near a hotel the police party sighted the Ambassador car in which the outlaws were travelling and surrounded the car. They asked Noor Alam and his associates to surrender.

On seeing the police party, the driver of the car tried to start the car but was prevailed upon by Shri B. K. Pandey and Shri Vishnu Shanker Rai. Both these officers then made a quick dash at Noor Alam with their pistols pointed towards him but before they could get at the outlaw, he fired and the bullet hit Shri Rai. In spite of the injury which he had received Shri Rai jumped onto the car window in order to make a last bid to catch hold of Noor Alam, Shri Pandey tried to hold the injured Sub-Inspector and fired on the outlaw. He himself received a bullet injury on his left elbow. The criminals were able to flee taking advantage of the injuries the police officers had received. They were, however, chased by the Police party. The criminals were detected in Mohalla Rajendra Nagar, Lucknow with both Noor Alam and one of his aassociates lying dead. The driver who had escaped was arrested the same night. Shri Vishnu Shanker Rai, Sub-Inspector succumbed to his injuries on the 25th January, 1974.

In this encounter with notorious outlaws Shri Vishnu Shanker Rai exhibited conspicuous gallantry and laid down his life while performing his duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 23rd January, 1974.

No. 29—Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Assam Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Sunil Phukan, Sub-Inspector of Police, Assam.

(Deceased)

Statement of services for which the decoration has been awarded

On July 8, 1974 the Manager of Tin Ali Tea Estate was gheraoed by violent Labourers. They were incensed by the alleged unhelpful attitude of the Manager in attending to a labourer whose hand had been fractured in an accident in the garden factory. The crowd entered into the Manager's bungalow, dragged out the Manager and his wife and started beating them with sticks, fists and umbrellas. When Sub-Inspector Sunil Phukan reached the spot, the situation was very tense. He had no time to get any reinforcement and was accompanied by only one Constable. He prevented the members of the crowd from assaulting the Manager and his family further. He pleaded with them to spare the lives of the Manager and his family. Though he was able to save their lives, he had to sacrifice his own life. The revengeful crowd went to the extent of taking out one of his eyes and mercilessly beat him to death.

Shri Sunil Phukan exhibited conspicuous gallantry and sacrified his own life in the performance of his duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 8th July, 1974.

No. 30—Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Mahendra Singh, Constable No. 484, Civil Police, Saharanpur District, Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the night of 16/17th November 1973 an armed gang of 8-9 dacoits raided some houses in Deoband town district Saharanpur, Uttar Pradesh. On receiving information, the

Station House Officer, Police Station Deoband collected the available force and rushed to the scene. But the dacoits had by then decamped with the looted property. The Police party, however, sighted a car with the suspected criminals on Saharanpur-Muzaffarnagar road. On seeing the police party, they took up positions and opened fire in which Constable Mahendra Singh received gun shot injuries. Undaunted by the fire, the gallant Constable crawled towards the position held by the dacoits. A heavy exchange of fire ensued in which one of the dacoits was injured. The dacoits were able to escape towards a sugar cane field but they were chased and three persons were arrested with their arms and ammunition The entire lotted property was recovered from the possession of the arrested dacoits.

In this encounter with the dacoits, Shri Mahendra Singh exhibited courage and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 17th November, 1973.

No. 31—Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Delhi Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Hari Singh, Constable No. 261/SD. Delhi Police.

Statement of services for which the decoration has been awarded

In the Vidya Jain murder case when the Police found some clues about the involvement of Bhagirath Singh and Kalyan Gupta of village Ghori P.S. Ballabhgarh and Ujjagar Singh and Kartar Singh of village Seshan, District Bharatpur, a police party was sent to apprehend them. Constable Hari Singh was a member of this party. At first the police party went to the farm house of Bhagirath Singh and there they learnt that Kalyan Gupta, had gone towards village Attri. A section of the raiding party including Constable Hari Singh, was sent to arrest Kalyan Gupta. Constable Hari Singh was able to overpower Kalyan Gupta. Meanwhile Bhagirath Singh was also nabbed. Acting on the information received from Bhagirath Singh and Kalyan Gupta, the police party reached village Seshan in the early hours of 11th December, 1973. The party was forewarned by officials of Police Station Pahari that the desperadoes were proclaimed offenders and would definitely offer resistance to their arrest. The armed wing of the police party encircled the adjacent houses of Ujjagar Singh and Kartar Singh while the Civil Police wing, of which Constable Hari Singh was a member, went inside to apprehend the accused persons. Sensing police presence Ujjagar Singh jumped out of bed and pulled out a .303 rifle tucked inside the 'Chhapar'. Unmindful of the risk involved Constable Hari Singh pounced upon Ujjagar Singh. Though he was hit by the culprit with the butt of the rifle, he did not loosen his grip and was able to pin him down.

In this encounter Shri Hari Singh exhibited conspicuous gallantry and devotion to duty in utter disregard of his personal safety.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 11th December, 1973.

No. 32—Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Mahabir Singh, (Deceased)
Sub-Inspector of Police,
Civil Police
Police Station Kherakarh,
District, Agra.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 10th April, 1968, Shri Mahabir Singh, Sub-Inspector was travelling in a bus going from Sadar in District Agra. As the bus reached near the culvert close to the village Nagla Kehra on the Saiyan-Kheragar road, it was stopped by a gang of armed dacoits who had blocked the road. As the bus slowed down, the dacoits fired at the front wheel tyre and punctured it forcing the bus to stop. The dacoits then asked all the passengers to come out of the bus. Shri Mahabir Singh who was completely unarmed came forward and asked the dacoits to desist from their illegal activities which enraged the dacoits. They asked the Sub-Inspector to get out of their way but Shri Mahabir Singh faced them boldly and did not comply with the dacoits wishes. Seeing the unarmed Sub-Inspector coming in their way, they pulled him out and shot him dead at point blank range.

Sub-Inspector Mahabir Singh, though unarmed exhibited conspicuous gallantry in resisting the armed dacoits engaged in their illegal activities.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 10th April, 1968.

No. 33—Pres/75.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Dharm Vier Mehta,
Additional Superintendent of Police,
Allahabad,
Uttar Pradesh.

Statement of Services for which the decoration has been awarded.

On receiving information that Mahadeo Mali, a notorious dacoit along with three associates was expected to visit a shop in Rambagh, Allahabad on the night of 26th October, 1968, Shri Dharm Vier Mehta chalked out a plan to intercept the gang at the shop. The police party was devided into three groups. As soon as the outlaws went into the shop, Shri Mehta approached the shop on the pretext of purchasing some sweets and satisfied himself that the dacoits had arrived. On his signal, the police groups converged in. Mahadeo Mali sensing the danger whipped out a 12 bore pistol from his belt and tried to escape. The gallant Additional Superintendent of Police anticipating the move of the outlay pounced upon him. Mahadeo Mali fired a shot which just escaped Shri Mehta. Shri Mehta in spite of Mahadeo Mali's efforts to get released continued to hold on to him until the arrival of reinforcement. Three associates of the dacoit were also arrested and their arms and ammunition captured.

In this encounter with dacoits Shri Dharm Vier Mehta exhibited conspicuous gallantry and devotion to duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules govering the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, as amended vide President's Secretariat's Notification No. 118-Pres./74, dated 1-12-1974 with effect from the 1st December, 1974.

No. 34—Pres/75.—The President is pleased to award the Bar to the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Lakshmi Raj Singh,
Inspector of Police,
Crime,
District Fatehpur,
Uttar Pradesh

Statement of services for which the Bar has been awarded.

On the 18th July 1972, Shri Lakshmi Raj Singh received information about the presence of dacoit leaders Deo Nath and Jabbo at Village Barkatpur along with some unlicensed fire arms. He rushed to the place with whatever force he could collect and surrounded the village. On seeing the police party taking position and coming closer, the dacoits opened fire and took cover in a house. Unmindful of the risk involved, the police started a house to house search. As soon as the police party reached near the house where the dacoits were hiding, they started firing and Shri Lakshmi Raj Singh

had a narrow escape. Taking position immediately, he asked the dacoits to surrender but the dacoits continued indiscriminate firing. Undeterred Inspector Lakshmi Raj Singh asked some Constable to climb up to the roof of the house and he himself went to the outer door of the house and warned the dacoits to surrender. They however continued their firing. At last in the firing, both the dacoits were killed and two guns along with 42 live cartridges were recovered from their possession.

In this encounter with notorious dacoits, Shri Lakshmi Raj Singh exhibited conspicuous gallantry and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for gallantry under Statute Sixthly of the Statute & Rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 18th July, 1972.

K. BALACHANDRAN, Secy. to the President.

CABINET SECRETARIAT

DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMN. REFORMS

New Delhi-110001, the 2nd April 1975

No. 35/8/74-AIS (III).—In Notification No. 35/8/74-AIS (III) dated the 7th December, 1974 of the Department of Personnel and Administrative Reforms, published in Part I Section 1 of the Gazette of India dated 7th December, 1974, the following amendment shall be carried out in the Rules for the India Forest Service Examination, 1975, namely :—

In Appendix IV of the Rules, in regulation 3(b) of the Regulations relating to Physical Examination of candidates, for the words —

"The minimum height prescribed in relaxable in case of candidates belonging to races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese, Nagaland Tribals etc. whose average height is distinctly lower"

the following words shall be substituted —

"The minimum height prescribed is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Tribes and to races such as Gorkhas, Garwalis, Assamese, Nagaland Tribals etc whose average height is distinctly lower".

R. L. AGGARWAL, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 7th April 1975

RESOLUTION

No. 19/3/75-Tex. (I).—The Government of India have decided to nominate the Secretary (Export Production) in the Ministry of Commerce as a member of the Cotton Textiles Consultative Board as reconstituted vide the erstwhile Ministry of Foreign Trade Resolution No. 26014 (1)/71-Tex (A), dated the 30th January, 1973 published in the Gazette of India, Part I, Section 1 dated the 3rd March, 1973.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, all Union Territories, all Ministries of the Government of India, Prime Minister's Secretariat, the Private and Military Secretaries to the President, the Planning Commission, Cabinet Secretariat, the Comptroller and Auditor General of India, Central Board to Direct Taxes, Central Board of Excise and Customs, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats, Library of Parliament and the Textile Commissioner, Bombay.

DAULAT RAM, Under Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES
DEPTT. OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 21st April 1975

RESOLUTION

No. 2 (11)/74-CGP(.).—Consequent on the resignation of Dr. Ing. J. D. Panda, Manager, Refractories, Orissa Cement Ltd., Rajganpur, from the membership of the Panel for Refractory Industry, and the resignation of Dr. D. N. Nandi, Scientist from the Central Glass and Ceramic Research Institute, the following persons are appointed as Members of the Panel for Refractory Industry, which was reconstituted in this Ministry's Resolution of even number dated the 13th December, 1974 :—

1. Shri M. H. Dalmia,
   Orissa Cement Ltd.,
   Rajgangpur-770017,
   Distt. Sundargarh (Orissa)
   (in place of Dr. Ing. J. D. Panda)
2. Dr. N. R. Sircar,
   Scientist,
   Central Glass & Ceramic Research Institute,
   P.O. Jadavpur University,
   Calcutta-700032.
   (in place of Dr. D. N. Nandi).

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. SUBRAMANYAN, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION
DEPARTMENT OF AGRICULTURE

New Delhi, the 7th April 1975

RESOLUTION

No. C. 11013/4/73-FRY (FD).—The Government of India had revised the composition of the Central Board of Forestry vide Resolution No. C. 11013/4/73-FRY (FD)., dated 21-5-1974. The question of fixing the term of members of this Board has been under consideration of the Government sometime past. The Government of India have now taken a decision in this question. Accordingly following new para before the "Functions" will be inserted in the Resolution dated 21st May, 1974 referred to above :—

"DURATION OF MEMBERSHIP

(i) Members other than those who are members by virtue of office or appointment held by them shall hold office for a period of 4 years or till they cease to be members of the organisation which they represent, whichever is earlier.

(ii) A Member of Parliament, nominated as a member of the Board will continue for 4 years or unless he ceases to be such on the dissolution of the Parliament, or on his ceasing to be a member.

(iii) A member shall cease to hold office on the happening of any of the folowing events :—

If he shall die, resign become of unsould mind, become insolvent or be convicted by a court of law for a criminal offence involving turpitude.

(iv) Any vacancy in the membership caused by any of the reasons mentioned above shall be filled by the appointment or nomination by the authority entitled to make such appointment or nomination. All such vacancies shall be filled for the full period of the tenure period of 4 years.

ORDER

ORDERED that copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of the India for general information.

S. K. SETH,
Inspector General of Forests and
Ex-Officio Additional Secy.

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

New Delhi-1, the 19th April 1975

RESOLUTION

No. F. 1-46/69-SSD (W).—In continuation of the Department of Social Welfare Resolution No. F. 1-46/69-SW-3, dated the 30th September, 1974 extending the term of the Office of the Central Social Welfare Board, namely the Chairman, Members of the General Body and Members of the Executive Committee of the Central Social Welfare Board (Company) till and including the 31st March, 1975, the Government of India have been further pleased to decide that, subject to Article 7 of the Articles of Association of the Company, the term of the said Board be extended for a further period of 3 months commencing from 1st April, 1975 till and including the 30th June, 1975.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to :—

1. All the Members of the Central Social Welfare Board.
2. All the State Governments/Union Territories.
3. All the Ministries/Departments of the Govt. of India.
4. President's Secretariat.
5. Cabinet Secretariat.
6. Planning Commission.
7. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat/P.M.'s Secretariat.
8. Press Information Bureau.
9. Accountant General, Central Revenues, New Delhi.
10. Department of Companies Affairs.
11. Registrar of Companies, New Delhi.
12. Regional Director, Company Law Board, Kanpur.
13. Secretary, Central Social Welfare Board, New Delhi.
14. All Chairman, State Social Welfare Advisory Boards.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

T. S. N. SWAMI, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

P. & T. BOARD

New Delhi-110001, the 21st April 1975

No. 23/18/74-LI.—The President hereby directs that the following further amendments shall be made in the Rules relating to Postal Life Insurance and Endowment Assurance, namely :—

(1) In the said rules ;—

(a) in rule 2 —

(i) in sub-rule (1), the word "State" shall be omitted;

(ii) in sub-rule (6) —

(A) for the words "offices or a State Railway" the words "or offices" shall be substituted;

(B) for the words "office or Railway" the words "or office" shall be substituted;

(iii) sub-rule (11) shall be omitted;

(b) "Note 6" below rule 19 shall be omitted.

R. N. DEY,
Director
Postal Life Insurance

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 1st March, 1975

No. DGET-12(3)/74-TC.—In pursuance of sub-paragraphs (f), (g), (h) and (m) of paragraph 5 of the Government of India, Ministry of Labour (Directorate General of Employment and Training), Resolution No. TR/EP-24/56, dated the 21st August, 1956, published in Gazette of India, Part I, Section-1, dated the 21st August, 1956, as amended from time to time and in supersesion of Notification No. 12 (6)/71-TC, dated the 14th October, 1971, of the Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour and Employment, the following persons have been nominated by the Central Government in consultation with the authorities concerned, to represent the various organisations, bodies, etc. on the National Council for Training in Vocational Trades :—

1. Shri T. G. Kripalani 2. R N. Kini 3. Shri K. K. Somani 4. Shri L. N. Ghirnikar 5. Shri S. D Bhasin.	Representatives of Employers' Organisations.
6. Shri S. M N[illegible]yanan 7. Shri Sa[illegible] M[illegible]sra 8. Shri C[illegible] Mehta 9. Shri Vim[illegible] Mehrotra 10. Shri Krishnan N. Aiyar.	Representatives of Workers' Organisations.
11. Director, IO Area, Office, New Delhi 12. Shri R. N. Joshi 13. Shri R. K. Gejji 14. Shri D. R. Gupta 15. Chief (Manpower) C.S.I.R., New Delhi. 16. Smt. Pramila Loomba 17. Dr. L. S. Chandrakant 18. Shri Y. S. Venkateswaran 19. Shri A. S. Lall	Representatives of Professional and Learned Bodies and Experts.

G. JAGANNATHAN, Dy. Secy.

New Delhi, the 5th April 1975

RESOLUTION

No. U/23017/8/74-MIV.—The following amendment shall be made in para 1 of this Ministry's Resolution No. U/23011/1/71-MIV dated the 1st February, 1973 reconstituting the Central Advisory Board for Iron Ore Mines Labour Welfare Fund :—

The existing entry against Sl. No. 1 under

"MEMBERS REPRESENTING WORKERS' ORGANISATIONS"

shall be substituted by the following :—

1. Shri B. K. Mohanti, M. P.
General Secretary,
Gangpur Labour Union,
P. O. Birmitrapur.
Distt. Sundargarh (Orissa)
26, Mahadev Road, New Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to :—

(1) The Governments of Andhra Pradesh, Mysore, Madhya Pradesh, Maharashtra, Bihar, Orissa and Goa, Daman & Diu.

(2) The Ministry of Steel and Mines (Deptt. of Mines), New Delhi.

(3) All Members of the Board.

(4) Employers' and Workers' Organisations concerned.

(5) Shri B. K. Mohanti, M.P., General Secretary, Gangpur Labour Union, P.O. Birmitrapur Distt. Sundargarh (Orissa).

(6) Shri B. K. Mohanti, M.P., 26, Mahadev Road, New Delhi.

(7) The Assistant Secretary, Indian National Trade Union Congress, 17, Janpath, New Delhi.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. K. SAKSENA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975